प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ दिनांक 09 नवम्बर, 2021*

विषय:- जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आशू उर्फ गौरव शर्मा पुत्र श्री गोविन्द कुमार शर्मा, निवासी जिला-इटावा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6762/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-02.03.2021) दिनांक-15.03.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आशू उर्फ गौरव शर्मा पुत्र श्री गोविन्द कुमार शर्मा, पक्का बाग, थाना-कोतवाली, जनपद-इटावा का निवासी है। बंदी ने दिनांक 20.09.2005 को अपरान्ह लगभग 2:00 बजे 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर छिपैठी मोहल्ले में मनोज अग्रवाल के घर में घुसकर लूटपाट किया तथा वादी के पुत्र संचित, पत्नी गीता एवं मॉ कुसुम अग्रवाल को पिस्टल, तमंचे से गोली मार दी। श्रीमती कुसुम की उपचार के लिए ले जाते समय मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-26/2006, 225/2005 में भा0द0वि0 की धारा-394, 307, 302/34, 411 व 25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश,(द0प्र0क्षे0अधि0) इटावा के आदेश दिनांक 04.10.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 11.03.2019 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 26.09.2020 तक 14 वर्ष 11 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 03 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा द्वारा बन्दी समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, इटावा द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 20.09.2005 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर छिपैठी मोहल्ले में मनोज अग्रवाल के घर में घुसकर लूटपाट कर पिस्टल, तमंचे से गोली मार कर वादी के पुत्र संचित, पत्नी गीता एवं मॉ कुसुम अग्रवाल सहित 03 लोगों की हत्या करने जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज पर व्यापक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, बंदी के भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने का अंकन पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, समाज को प्रभावित करने वाले आपराधिक कृत्य ,विवाद समाप्त होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, इटावा द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने एवं अन्य सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी आशू उर्फ गौरव शर्मा पुत्र श्री गोविन्द कुमार शर्मा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आशू उर्फ गौरव शर्मा (बन्दी संख्या-708/2007) पुत्र श्री गोविन्द कुमार शर्मा, निवासी जनपद-इटावा के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-209/2021/1007(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, इटावा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-209/2021/1007/22-2-2021-17(555)/2021

दिनांक 09 नवम्बर, 2021 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आशू उर्फ गौरव शर्मा पुत्र श्री गोविन्द कुमार शर्मा, पक्का बाग, थाना-कोतवाली, जनपद-इटावा का निवासी है। बंदी ने दिनांक 20.09.2005 को अपरान्ह लगभग 2:00 बजे 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर छिपैठी मोहल्ले में मनोज अग्रवाल के घर में घुसकर लूटपाट किया तथा वादी के पुत्र संचित, पत्नी गीता एवं मॉ कुसुम अग्रवाल को पिस्टल, तमंचे से गोली मार दी। श्रीमती कुसुम की उपचार के लिए ले जाते समय मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-26/2006, 225/2005 में भा0द0वि0 की धारा-394, 307, 302/34, 411 व 25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश,(द0प्र0क्षे0अधि0) इटावा के आदेश दिनांक 04.10.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 11.03.2019 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 26.09.2020 तक 14 वर्ष 11 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 03 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा द्वारा बन्दी समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, इटावा द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 20.09.2005 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर छिपैठी मोहल्ले में मनोज अग्रवाल के घर में घुसकर लूटपाट कर पिस्टल, तमंचे से गोली मार कर वादी के पुत्र संचित, पत्नी गीता एवं मॉ कुसुम अग्रवाल सहित 03 लोगों की हत्या करने जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज पर व्यापक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, बंदी के भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने का अंकन पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, समाज को प्रभावित करने वाले आपराधिक कृत्य ,विवाद समाप्त होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, इटावा द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने एवं अन्य सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी आशू उर्फ गौरव शर्मा पुत्र श्री गोविन्द कुमार शर्मा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।